

जुलाई 2020

PRS के प्रमुख हाइलाइट्स

- **कोवडि-19**
 - विश्वविद्यालयों में परीक्षाएँ कराने के लिये संशोधित दिशा-निर्देश और SOP
 - स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के लिये दिशा-निर्देश
 - घरेलू उद्धानों के लिये सेक्टर वर्गीकरण एवं हवाई करिया बँड्स की वैधता अवधि में वृद्धि
 - दवाओं के आयात के लिये पंजीकरण प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि में वृद्धि
- **समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) विकास**
 - 2020-21 की पहली त्रिमाही में रटिल मुद्रास्फीति 6.5% पर
- **शिक्षा**
 - राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
- **श्रम और रोजगार**
 - श्रम संबंधी स्थायी समिति की सामाजिक सुरक्षा संहिता पर रिपोर्ट
 - वेतन संहिता नयिम, 2019 के अंतर्गत अधिसूचित मसौदा नयिम
- **इलेक्ट्रॉनिक्स और इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी**
 - गैर-व्यक्तगित डेटा शासन पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट
- **वित्त**
 - NBFC और HFC की तरल योजना के संचालन हेतु दिशा-निर्देश
 - कुछ देशों से सार्वजनिक खरीद पर प्रतिबंध
 - सेबी ने नविश सलाहकार (संशोधन) वनियिम, 2020
- **सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण**
 - मसौदा ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नयिम, 2020
- **उपभोक्ता मामले**
 - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
 - वधिक माप वजिज्ञान अधिनियम, 2009
- **परविहन**
 - रेलवे मंत्रालय ने यात्री रेल सेवाओं के संचालन के लिये नजी भागीदारी को आमंत्रित किया
 - मसौदा अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमटि नयिम, 2020
 - मर्चेंट शिपिंग (पशुओं के वहन की शर्त) नयिम, 2020
- **कृषि**
 - कृषि अवसंरचना कोष को मंजूरी
 - कृषि निर्यात संबंधी समूह की रिपोर्ट
- **रक्षा**
 - थलसेना में महिला अधिकारियों के लिये स्थायी कमीशन को मंजूरी
 - रक्षा मंत्रालय ने मसौदा रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020
 - DAC ने 38,900 करोड़ रुपए मूल्य के उपकरणों के पूंजीगत अधिग्रहण को मंजूरी
 - सशस्त्र बलों को 300 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत खरीद का अधिकार
- **वदियुत**
 - अक्षय और थर्मल स्रोतों के मशिण से बजिली खरीद की प्रतिसिपर्द्धी बोली प्रक्रिया के लिये दिशा-निर्देश
 - मसौदा केंद्रीय वदियुत नयिमक आयोग (वदियुत बाजार) वनियिम, 2020
 - मसौदा केंद्रीय वदियुत नयिमक आयोग (वदियुत आपूर्तिका वनियिमन) (पहला संशोधन) वनियिम, 2020
 - अक्षय ऊर्जा अनुसंधान और तकनीकी विकास कार्यक्रम
 - पीएम-कुसुम योजना

कोवडि-19

• विश्वविद्यालयों में परीक्षाएँ कराने के लिये संशोधित दशा-नरिदेश और SOP जारी

विश्वविद्यालय कक्षाएँ अनुदान आयोग (University Grants Commission- UGC) ने विश्वविद्यालयों में परीक्षाएँ कराने के लिये संशोधित दशा-नरिदेश जारी किये हैं। इससे पहले (अप्रैल 2020) UGC ने जुलाई 2020 में विश्वविद्यालयों में परीक्षाएँ कराने के लिये दशा-नरिदेश जारी किये थे। संशोधित दशा-नरिदेशों में कहा गया है कि विश्वविद्यालयों को सितंबर 2020 के अंत तक परीक्षाएँ समाप्त कर लेनी चाहिये। वे इसे ऑफलाइन, ऑनलाइन या ब्लेंडेड (ऑनलाइन+ऑफलाइन) मोड में संचालित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दशा-नरिदेशों में नमिनलखिति प्रावधान हैं:

- अगर कोई वदियार्थी विश्वविद्यालय की परीक्षा नहीं दे पता है तो उसे दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाना चाहिये। यह सरिफ इस एकडेमिक सेशन के लिये लागू होगा।
- बैकलॉग वाले फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के वदियार्थियों का मूल्यांकन अनविरय रूप से परीक्षाओं के जरयि ही कयिा जाना चाहिये। इंटरमीडिएट सेमेस्टर/ईयर वाले वदियार्थियों के मामले में विश्वविद्यालय उनकी तैयारी के स्तर, आवासीय स्थिति, महामारी के प्रकोप और दूसरे अन्य मामलों को ध्यान में रखते हुए परीक्षाएँ ले सकता है।

इसके अतिरिक्त मानव संसाधन और विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource and Development) ने परीक्षा कराने (विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं और दूसरी अनुसूचित परीक्षाओं, जैसे IIT-JEE और NEET आदि) के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure-SOP) जारी की है। SOP के अनुसार:

- जहाँ आवाजाही पर प्रतबिंध है, वहाँ वदियार्थियों को जारी कयिे गए एडमटि/आइडेंटि कार्ड्स को पास के तौर पर माना जाना चाहिये। स्थानीय प्रशासन को इस संबंध में नरिदेश देना चाहिये।
- परीक्षा केंद्रों की दीवारों, फर्श, दरवाजों, और गेट्स को सैनटाइज़र कयिा जाना चाहिये, सैनटाइज़र की बोतलें दी जानी चाहिये। वदियार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ उन्हें मास्क दयिा जाना चाहिये।
- सीटिंग अरेंजमेंट में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चिती की जानी चाहिये, दो वदियार्थियों के बीच कम-से-कम दो मीटर की दूरी होनी चाहिये। बुखार, जुकाम या खाँसी के लक्षण वाले मरीजों को अलग कमरे में बैठाया जाना चाहिये और दोबारा परीक्षा देने का मौका दयिा जाना चाहिये।
- कसिी एक जगह पर भीड़ को रोकने के लिये आने-जाने के सभी दरवाजे खोल दयिे जाने चाहिये।

• स्कूलों में डिजिटल शकिषा के लिये दशा-नरिदेश

मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने स्कूलों में डिजिटल शकिषा के लिये दशा-नरिदेश जारी कयिे हैं। इन दशा-नरिदेशों में बताया गया है कि डिजिटल लर्निंग के लिये स्कूल कया कदम उठा सकते हैं और सुझाव दयिा गया है कि एक दिन में ऑनलाइन कक्षा कतिने घंटे की हो सकती है और कतिनी संख्या में कक्षाएँ की जा सकती हैं।

[और पढ़ें](#)

• घरेलू उडानों के लिये सेक्टर वर्गीकरण एवं हवाई करिया बँड्स की वैधता अवधि में वृद्धि

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू उडानों के लिये सेक्टर वर्गीकरण और हवाई करिया बँड्स को बढ़ाया है। महामारी के दौरान घरेलू उडानों का आंशिक संचालन शुरू करने के लिये मंत्रालय ने उडानों की अवधि के आधार पर सेक्टर तय कयिे थे और मई 2020 में इन सेक्टरों के लिये न्यूनतम और अधिकतम करिया नरिधारित कयिा गया था। इसके तहत न्यूनतम करिया 2,000 रुपए और अधिकतम करिया 18,600 रुपए तय कयिा गया था (अन्य प्रभारों जैसे GST को छोड़कर) जो कि 24 अगस्त, 2020 तक वैध था। अब इसे 24 नवंबर, 2020 तक बढ़ाया गया है।

• दवाओं के आयात के लिये पंजीकरण प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि में वृद्धि

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) ने भारत में बकिरी और वतिरण के लिये दवाओं के आयात हेतु पंजीकरण प्रमाण-पत्र की वैधता बढ़ा दी है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि दवाओं की आपूर्ति पर असर न हो। यह 27 जनवरी, 2021 तक वैध रहेगा। यह उन मौजूदा पंजीकरण प्रमाण-पत्र धारकों पर लागू होगा जिन्होंने अपने प्रमाण-पत्र की वैधता तथि समाप्त होने से पहले पंजीकरण के नवीनीकरण हेतु आवेदन कयिा है।


समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) विकास

• वर्ष 2020-21 की पहली तमिाही में रटिल मुद्रास्फीति 6.5% पर

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index- CPI) मुद्रास्फीति (आधार वर्ष 2011-12) अप्रैल 2020 की 7.3% की तुलना में जून 2020 में 6.1% हो गई (वर्ष-दर-वर्ष)।

खाद्य मुद्रास्फीति जून में 7.9% थी जो कि अप्रैल में 10.5% से कम रही। थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index- WPI) मुद्रास्फीति (आधार वर्ष 2011-12) लगातार तीसरे महीने नेगेटिव रही। WPI मुद्रास्फीति जून में नकारात्मक (1.8%) रही। जून 2019 में CPI मुद्रास्फीति 3%, खाद्य मुद्रास्फीति 2.2% और WPI मुद्रास्फीति 2% थी।

रेखाचित्र 1: 2020-21 की पहली त्रिमाही में मुद्रास्फीतिकी प्रवृत्ति (परिवर्तन का %, वर्ष-दर-वर्ष)



शिक्षा

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy- NEP 2020) जारी की गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development- MHRD) ने जून 2017 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिये एक समिति का गठन किया था।

[और पढ़ें](#)

श्रम और रोज़गार

• श्रम संबंधी स्थायी समिति की सामाजिक सुरक्षा संहिता पर रिपोर्ट

श्रम संबंधी स्थायी समिति (अध्यक्ष: भरतृहरि महताब) ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2019 (Code on Social Security, 2019) पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। यह संहिता सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नौ कानूनों का स्थान लेती है। यह उपक्रमों के आकार या श्रमिकों के वेतन की सीमा के आधार पर उनके लिये सामाजिक सुरक्षा को अनिवार्य बनाती है। सरकार नमिनलखिति के लिये योजनाएँ बना सकती है:

- असंगठित श्रमिक, जैसे स्वरोज़गार प्राप्त या गृह आधारित श्रमिक।
- गगि वर्कर्स जो कि परंपरागत न्योक्ता-कर्मचारी संबंधों से बाहर काम करते हैं।
- प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जो कि सेवाएँ प्रदान करने के लिये ऑनलाइन मंच का उपयोग करते हैं। मुख्य सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- कवरेज:** समिति ने कहा कि संहिता में सभी श्रमिकों को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये फ़्रेमवर्क बनाना चाहिये जिसमें सुरक्षित वित्तीय प्रतबिद्धता सुनिश्चित हो और जिससे एक नशित समयासीमा में प्रदान किया जाए। समिति ने सुझाव दिया कि सरकार को:
 - उपक्रम के आकार संबंधी सीमा पर दोबारा विचार करना चाहिये।
 - एक मॉडल स्कीम बनाई जानी चाहिये जिसमें सभी राज्यों के असंगठित श्रमिकों के लिये अनिवार्य न्यूनतम अहर्ता निर्दिष्ट हो।
 - सभी असंगठित, भवन निर्माण और बागान श्रमिकों को बेरोज़गारी बीमा प्रदान करना चाहिये।
 - लौह अयस्क और बीड़ी बनाने वाली इकाइयों जैसे विशिष्ट उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये कल्याणकारी कोषों को फरि से प्रस्तावित करना चाहिये।
 - ग्रेच्युटी का लाभ लेने के लिये सेवा की अवधि को पाँच वर्ष से एक वर्ष करना चाहिये।
- परिभाषाएँ:** समिति ने विभिन्न परिभाषाओं में संशोधन के सुझाव दिये। इनमें नमिनलखिति शामिल हैं:
 - सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाना ताकि उसमें अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सुझाए गए नौ घटकों को शामिल किया जा सके (जिसमें बेरोज़गारी, मातृत्व, वृद्धावस्था और चिकित्सा लाभ शामिल हों)।
 - कर्मचारियों का दायरा बढ़ाया जाए ताकि उसमें ऑनगवार्डी और आशा कार्यकर्त्ता शामिल हो सकें।
 - श्रमिक का दायरा बढ़ाया जाए ताकि उसमें गगि वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स शामिल हो सकें।
- प्रशासन:** समिति ने कहा कि संहिता में फ़्रेमवर्क डिलीवरी स्ट्रक्चर है और कई संगठन विभिन्न लाभों का वितरण कर रहे हैं। उसने सुझाव दिया कि सरकार को सामाजिक सुरक्षा के प्रबंधन के लिये एक ठोस व्यवस्था बनाने पर विचार करना चाहिये।
- रजिस्ट्रेशन:** सभी पात्र इस्टैबलिशमेंट्स को संहिता के अंतर्गत संबंधित सामाजिक सुरक्षा संगठन में पंजीकृत करना होगा। समिति ने नमिनलखिति सुझाव दिये:
 - इस्टैबलिशमेंट्स की परिभाषा को वसितार दिया जाए ताकि उपक्रमों की सभी श्रेणियों जैसे ओन एकाउंट वाले उपक्रमों को इसमें शामिल किया जा सके।
 - यूनफाइड और कंप्लायंस प्लेटफॉर्म प्रदान किये जाए।
 - सभी श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के प्रबंधन के लिये सगिल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी प्रदान की जाए।

- **अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक (ISMW):** समिति ने नमिनलखिति सुझाव दिये:
 - ISMW के लिये एक अलग कोष।
 - उनकी परभाषा का वस्तितार दया जाए ताक दूसरे राज्य के स्वरोजगार वाले कर्मचारियों को इसमें शामिल कया जा सके।
 - प्रवासी श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जाए और उसे असंगठित श्रमिकों के डेटाबेस से लक कया जाए।
- **आधार:** असंगठित श्रमिक संहति के अंतरगत अपने आधार नंबर से खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। समिति ने कहा क आधार को सरिफ तभी अनविर्य कया जाना चाहयि जब भारत के समेकति कोष से व्यय कया जाए। साथ ही कहा क मंत्रालय ने इस प्रवाधान की दोबारा जाँच करने का आश्वासन दया है।
- **वेतन संहति नयिम, 2019 के अंतरगत अधसूचिति मसौदा नयिम**

श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) ने सार्वजनिक टपिणियों के लयि वेतन संहति के अंतरगत मसौदा नयिम अधसूचिति कयि है। ये मसौदा नयिम केंद्रीय क्षेत्र के सभी संस्थानों पर लागू होंगे।

[और पढ़ें](#)

इलेक्ट्रॉनिक्स और इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी

- **गैर-व्यक्तगत डेटा शासन पर वशिषज्ज समतिकी रिपोर्ट**

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा गैर-व्यक्तगत डेटा से संबंधित मुद्दों के अध्ययन के लयि गठित वशिषज्ज समिति ने अपनी रिपोर्ट सौपी।

[और पढ़ें](#)

वत्ति

- **NBFC और HFC की तरल योजना के संचालन हेतु दशा-नरिदेश**

सरकार ने आत्मनरिभर भारत अभयान पैकेज के अंग के रूप में **‘गैर-बैंकिग वत्ति कंपनियों’** (Non-Banking Finance Companies- NBFC), हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (Housing Finance Companies- HFC) और सूक्ष्म वत्ति संस्थानों (Micro-Finance Institutions-MFI) की तरलता स्थिति में सुधार के लयि 30,000 करोड़ रुपए की वशिष तरलता योजना (Special Liquidity Scheme) शुरु करने की घोषणा की थी।

[और पढ़ें](#)

- **कुछ देशों से सार्वजनिक खरीद पर प्रतबंध**

वत्ति मंत्रालय ने सामान्य वत्तीय नयिमावली, 2017 (General Financial Rules 2017) में संशोधन कयि है ताक विय वभिग को यह अधिकार दया जा सके कविह राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर कुछ देशों से की जाने खरीद पर प्रतबंध लगा सके।

[और पढ़ें](#)

- **सेबी ने नविश सलाहकार (संशोधन) वनियम, 2020**

भारतीय प्रतभूति और वनियम बोर्ड (Security Exchange Board of India- SEBI) ने नविश सलाहकार (संशोधन) वनियम, 2020 [Investment Advisers (Amendment) Regulations, 2020] को अधसूचिति कया। यह सेबी (नविश सलाहकार) वनियम, 2013 में संशोधन करता है। संशोधित वनियम 1 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी होंगे। एक नविश सलाहकार ऐसा व्यक्त होता है जो ग्राहकों को नविश उत्पादों की खरीद या बिक्री या पोर्टफोलियो प्रबंधन की सलाह देता है। किसी व्यक्तिया संस्था द्वारा ऐसी सेवाएँ तभी दी जा सकती हैं, जब वह वर्ष 2013 के नयिमों के अंतरगत पंजीकृत हो। मुख्य संशोधनों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **कार्यों का पृथक्करण:** 2020 के वनियम व्यक्तगत और गैर-व्यक्तगत सलाहकारों को सलाह देने और नविश उत्पादों के वतिरक के रूप में कार्य करने पर कुछ प्रतबंध लगाते हैं। व्यक्तगत नविश सलाहकार वतिरण सेवाएँ प्रदान नहीं कर सकते। गैर-व्यक्तगत नविश सलाहकार दोनों सेवाओं को प्रदान करने के लयि पंजीकरण कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी सलाहकार सेवाओं को वतिरण सेवाओं से अलग रखना होगा और इसके लयि उन्हें अलग पहचान योग्य वभिग/प्रभाग के माध्यम से सलाहकार सेवाएँ प्रदान करनी होंगी। उल्लेखनीय है क 2013 के वनियमों के अंतरगत सलाहकार किसी ग्राहक को दोनों सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं।
- **कार्यान्वयन सेवाएँ प्रदान करने के लयि कोई शुल्क नहीं:** नविश सलाहकार प्रतभूति बाज़ार में प्रत्यक्ष योजनाओं या उत्पादों के माध्यम से कार्यान्वयन सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं। हालाँकि इस तरह की सेवाएँ प्रदान करने के लयि कोई शुल्क (जैसे कमीशन और शुल्क) नहीं लया जा सकता है।
- **पंजीकरण के लयि शुद्ध मूल्य की आवश्यकता:** 2020 के वनियम नविश सलाहकार के रूप में पंजीकरण की आवश्यकता के लयि नविल मूल्य की

सीमा को बढ़ाते हैं। व्यक्तिगत नविश सलाहकारों के लिये यह सीमा एक लाख रुपए से पाँच लाख रुपए तक और गैर-व्यक्तिगत नविश सलाहकारों के लिये 25 लाख रुपए से 50 लाख रुपए की गई है।

- **व्यक्तिगत सलाहकारों का नगिमीकरण:** अगर नविश सलाहकार के रूप में पंजीकृत व्यक्तियों के ग्राहकों की संख्या 150 से अधिक है तो उन्हें गैर-व्यक्तिगत नविश सलाहकार के तौर पर दोबारा पंजीकरण कराना होगा।

सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण

• मसौदा ट्रांसजेंडर व्यक्ति(अधिकारों का संरक्षण) नयिम, 2020

ड्राफ्ट ट्रांसजेंडर व्यक्ति(अधिकारों का संरक्षण) नयिम, 2020 सार्वजनिक टिप्पणियों के लिये अधिसूचित किये गए हैं। नयिम [ट्रांसजेंडर व्यक्ति\(अधिकारों का संरक्षण\) अधिनियम, 2019](#) के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं। यह ट्रांसजेंडर लोगों के कल्याण और संरक्षण के लिये प्रावधान करता है। मसौदा नयिमों में नमिन शामिल हैं:

- **पहचान प्रमाण-पत्र जारी करना:** अधिनियम के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पहचान प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये ज़िला मजिस्ट्रेट को आवेदन करना होता है। नयिमों में अपेक्षा की गई है कि पहचान प्रमाण-पत्र के आवेदन के लिये आवेदन-पत्र के साथ एक शपथ-पत्र भी जमा कराया जाएगा जिसमें आवेदक की लिंग पहचान की घोषणा की जाएगी। नाबालग की स्थिति में बच्चे के माता-पिता या गार्जियन आवेदन करेंगे। अगर बच्चे को देखभाल या संरक्षण की ज़रूरत है तो [कशिशोर न्याय अधिनियम, 2015](#) के अंतर्गत बाल कल्याण समिति आवेदन प्रस्तुत करेगी।
- प्रमाण-पत्र 30 दिनों के भीतर जारी होना चाहिये। ज़िला मजिस्ट्रेट की तरफ से एक ट्रांसजेंडर पहचान पत्र भी जारी किया जाएगा। ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हीं आवेदकों को प्रमाण-पत्र जारी किये जाएंगे, जो उसके क्षेत्राधिकार में आवेदन की तारीख से 12 महीने पहले से लगातार रह रहे हों।
- **संशोधित प्रमाण-पत्र जारी करना:** अगर व्यक्ति ने सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी कराई हो तो सर्जरी करने वाले अस्पताल के चिकित्सा अधिकर्षक या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र भी जमा कराया जाएगा। आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर संशोधित पहचान प्रमाण-पत्र जारी होना चाहिये जिसमें व्यक्ति का लिंग पुरुष या महिला लिखा हो।
- **अपील:** अगर पहचान प्रमाण-पत्र का आवेदन रद्द हो जाता है तो आवेदक रद्द होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर फ़ैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। अपील संबंधित सरकार द्वारा नामित अपीलीय प्राधिकरण को निर्देशित होगी।
- **कल्याणकारी उपाय:** केंद्र और राज्य सरकारें चिकित्सा, बीमा, ट्रांसजेंडर वदियार्थियों के लिये छात्रवृत्ति और सस्ते आवास जैसे मामलों पर कल्याणकारी योजनाएँ बनाएँगी। इसके अतिरिक्त नयिम लागू होने के दो वर्ष के भीतर केंद्र और राज्य सरकारें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भेदभाव से बचाने के लिये नीति बनाएँगी।
- सभी शैक्षणिक संस्थानों में एक समिति होनी चाहिये। अगर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को किसी तरह के उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करना पड़े तो वे इस समिति के पास जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सभी प्रतियोगिताओं में समान अवसर नीति और एक अनुपालन अधिकारी होना चाहिये।

उपभोक्ता मामले

• उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने [उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019](#) (Consumer Protection Act, 2019) के अंतर्गत कुछ नयिम अधिसूचित किये।

और पढ़ें

• वधिकि माप वजिज्ञान अधिनियम, 2009

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने वधिकि माप वजिज्ञान अधिनियम, 2009 (Legal Metrology Act, 2009) में प्रस्तावित संशोधनों पर टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं। अधिनियम वज़न और माप के मानदंड स्थापित और उन्हें लागू करता है और उनके व्यापार को नियंत्रित करता है। प्रस्तावित मुख्य संशोधन नमिनलिखित हैं:

- **कुछ अपराधों का वैधीकरण:** अधिनियम के अंतर्गत अगर व्यक्ति कुछ अपराध दोबारा करता है तो उसके लिये कैद की सज़ा दी जाती है। इन अपराधों में नमिनलिखित शामिल हैं:
 - (i) अमानक (नॉन स्टैंडर्ड) बाट और माप का इस्तेमाल, मैन्युफैक्चरिंग या बिक्री।
 - (ii) अमानक बाट और माप के साथ छेड़छाड़ या उसे बदलना।
 - (iii) मात्रा में अमानक पैकेज को बेचना।
 - (iv) बना लाइसेंस के बाट और माप का मैन्युफैक्चर।

प्रस्तावित संशोधन कैद के प्रावधान को हटाते हैं और कहते हैं कि दोबारा अपराध करने पर अपराधी को ज़रमाना भरना पड़ेगा। उदाहरण के लिये अमानक बाट और माप का इस्तेमाल करने पर अधिकतम ज़रमाने को 50,000 रुपए से बढ़ाकर दस लाख रुपए किया गया है।

विभाग ने कहा कि इन अपराधों को वैध ठहराया जा सकता है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इसके पीछे आपराधिक उद्देश्य हो और इससे बड़े पैमाने पर जनहति प्रभावित नहीं होता हो। इसलिये इन अपराधों के लिये कैद की सज़ा के बजाय ज़रमाना ही पर्याप्त है। उसने यह भी कहा कि तकनीकी प्रकृति वाले अपराधों के लिये क्रिमिनल के बजाय सविलि लायबिलिटी लगाई जा सकती है।

- **बकिरी की परभाषा:** अधिनियम के अंतर्गत 'बकिरी' की परभाषा में संपत्ति और वस्तुओं का हस्तांतरण शामिल है। प्रस्तावित संशोधन बकिरी की परभाषा का दायरा बढ़ाते हैं, ताकि सेवाओं को इसमें शामिल किया जा सके।
- **एमआरपी से अधिक मूल्य पर बकिरी की सजा:** प्रस्तावित संशोधन एक्ट में एक प्रावधान जोड़ते हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत प्री-पैकेज्ड कमोडिटी को अधिकतम रटिल मूल्य (एमआरपी) से ज्यादा पर बेचना, वितरित करना, डिलीवर करना या अन्यथा हस्तांतरित करना अपराध है। इसके लिये 5,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। एक से अधिक बार अपराध करने पर जुर्माना एक लाख रुपए तक हो सकता है।

परविहन

- **रेलवे मंत्रालय ने यात्री रेल सेवाओं के संचालन के लिये नजी भागीदारी को आमंत्रित किया**

रेल मंत्रालय ने 109 मूल-गंतव्य पेयर मार्गों पर यात्री रेलों के संचालन हेतु नजी क्षेत्र को भागीदारी हेतु आमंत्रित किया है। इसके तहत 151 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।

और पढ़ें

- **मसौदा अखलि भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट नियम, 2020**

सड़क परविहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने मसौदा नियम जारी किये हैं जो मोटर वाहन (पर्यटन परविहन संचालकों के लिये अखलि भारतीय परमिट) नियम, 1993 [Motor Vehicles (All India Permit for Tourist Transport Operators) Rules, 1993] का स्थान लेंगे। मसौदा नियमों की मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **प्राधिकरण और परमिट:** मसौदा नियमों के अनुसार, परविहन अथॉरिटी ऑथराइजेशन देगी ताकि परविहन वाहन संचालक टैक्स या फीस चुका कर भारतीय क्षेत्र में वाहन चला सकें। जिस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में वाहन चलाया जाएगा वह शुल्क या फीस की वसूली कर सकता है। परविहन प्राधिकरण परमिट जारी करेगी जिसके बाद टैक्स या फीस का भुगतान किये बिना भारतीय क्षेत्र में वाहन संचालक वाहन चला सकेंगे। आवेदन के साथ सौंपे गए दस्तावेजों की जाँच के बाद परमिट दिया जाएगा। अगर आवेदन मिलने के 30 दिनों के भीतर आवेदन पर फैसला नहीं लिया जाता तो माना जाएगा कि प्राधिकार या परमिट दे दिया गया है और वह इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट हो जाएगा। प्राधिकार या परमिट को एक से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, ऐसा सिर्फ न्यायिक परविहन प्राधिकरण की अनुमति से ही किया जा सकता है।
- **फीस:** आवेदन के साथ फीस जमा की जाती है। मसौदा नियम प्रत्येक प्रकार के परविहन वाहन के लिये फीस निर्दिष्ट करता है। उदाहरण के लिये नौ लोगों से कम की क्षमता वाले परविहन वाहन को एसी परमिट लेने के लिये 25,000 रुपए वार्षिक चुकाने होंगे। प्राधिकार या परमिट के लिये भुगतान किया गया शुल्क मासिक आधार पर न्यायिक राज्य को भेज दिया जाएगा।
- **बीमा कवरेज:** प्राधिकार या परमिट के अंतर्गत संचालित होने वाले प्रत्येक वाहन के पास ड्राइवर और पैसेंजर लायबिलिटी के लिये वैध बीमा कवरेज होना चाहिये।
- **पर्यटकों की सूची:** परमिट के अंतर्गत चलने वाले वाहन में हमेशा इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में यात्रियों की सूची होनी चाहिये। इस सूची में प्रत्येक यात्री के मूल स्थान और गंतव्य का विवरण होना चाहिये। यह सूची अधिकृत अधिकारियों द्वारा मांगने पर दी जानी चाहिये। प्राधिकार और परमिट रखने वाले प्रत्येक पर्यटक वाहन संचालक को एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिये यात्रा विवरण सहित यात्रियों का रिकॉर्ड रखना चाहिये। इस तरह के रिकॉर्ड को न्यायिक परविहन प्राधिकरण या किसी अन्य कानून प्रवर्तन अधिकारी की मांग पर उपलब्ध कराया जाना चाहिये। यात्रियों का कोई रिकॉर्ड किसी अन्य व्यक्ति, संगठन या कंपनी के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिये।

- **मर्चेंट शिपिंग (पशुओं के वहन की शर्त) नियम, 2020**

शिपिंग मंत्रालय (Ministry of Shipping) ने मर्चेंट शिपिंग (पशुओं के वहन की शर्त) नियम, 2020 [Merchant Shipping (Conditions for Carriage of Livestock) Rules, 2020] को अधिसूचित किया है। ये नियम समुद्र के ज़रिये पशुओं के वहन पर लागू होंगे, भले ही उन्हें देश से बाहर आयात या निर्यात किया जा रहा हो अथवा भारत के एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पर ले जाया जा रहा हो। नियमों की मुख्य विशेषताएँ हैं:

- **पशु जहाज़ को मंजूरी:** कोई व्यक्ति समुद्र से पशुओं का वहन तभी कर सकता है, जब उसे पशु जहाज़ की मंजूरी मिली हो। इस मंजूरी को हासिल करने के लिये जहाज़ को मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 (Merchant Shipping Act, 1958) के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिये। फॉरेन फ्लैगशिप के मामले में उसे भारत सरकार के किसी मान्यता प्राप्त संगठन से पशु जहाज़ के रूप में वर्गीकृत होना चाहिये तभी शिपिंग महानदेशालय मंजूरी देगा। यह मंजूरी 5 वर्ष की अवधि के लिये वैध होगी। महानदेशक नदिशालय की वेबसाइट पर मंजूरी प्राप्त जहाज़ों की सूची प्रकाशित करेगा।
- **प्रतकिल मौसम:** यात्रा से पहले जहाज़ के मास्टर के पास मौसम का 96 घंटे का पूर्वानुमान होना चाहिये जो कि उसे भारतीय मौसम वज्ज्ञान सेवा से प्राप्त होगा और इसमें यात्रा मार्ग की वायु एवं समुद्री स्थितियों की जानकारी होगी। मास्टर को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि अगर पूर्वानुमान में प्रतकिल समुद्री एवं वायु स्थितियों की आशंका दर्ज की गई है तो जहाज़ भारतीय बंदरगाह से रवाना न हो।
- **यात्रा की योजना:** जब तक महानदेशक से भावी यात्रा की योजना को मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक कोई व्यक्ति न खुद जहाज़ पर पशुओं को चढ़ा सकता है और न ही दूसरे व्यक्ति को ऐसा करने की मंजूरी दे सकता है। इस योजना में प्रस्थान से गंतव्य तक के भावी मार्ग को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें उन बंदरगाहों की सूची भी शामिल होगी, जहाँ भावी यात्रा के दौरान जहाज़ रुक सकते हैं और इन बंदरगाहों के बीच की दूरी भी लिखी होगी।
- **जहाज़ के मास्टर के कार्य:** जहाज़ के मास्टर के पशुओं की दुलाई और देखभाल से जुड़े कार्यों में नमिनलखिति शामिल हैं:
 - (i) पशुओं की दुलाई से पहले जहाज़ का निरीक्षण।
 - (ii) यह सुनिश्चित करना कि दुलाई सक्षम व्यक्ति द्वारा की जाए।

(iii) यह सुनिश्चित करना कि पशुओं को जहाज़ पर उचित तरीके से रखा जाए और क्रू के सदस्य उनकी देखभाल करें।

कृषि

• कृषि अवसंरचना कोष को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय योजना कृषि अवसंरचना कोष को मंजूरी दी। आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज के अंतर्गत मई 2020 में इस कोष की घोषणा की गई थी।

और पढ़ें

• कृषि निर्यात संबंधी समूह की रिपोर्ट

15वें वित्त आयोग ने फरवरी 2020 में कृषि निर्यात हेतु एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। इस समूह ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान राज्यों को प्रदर्शन आधारित इनसेंटिवि पर सुझाव देने के लिये गुरुप बनाया गया था। इसका लक्ष्य कृषि निर्यात में वृद्धि और ऐसी फसलों को बढ़ावा देना है जो कि उच्च नरियात प्रतस्थापन करे। समूह का अनुमान है कि वैल्यू चैन में 8-10 बलियन अमेरिकी डॉलर के नविश से भारत का कृषि निर्यात कुछ वर्षों में 40 बलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 70 बलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा।

गुरुप के मुख्य सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- मांग के आधार पर कुछ फसलों की वैल्यू चैन पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
- मूल्य संवर्द्धन पर ध्यान देते हुए क्लस्टर आधारित सप्लाय चैन बनाई जाए।
- राज्य के नेतृत्व में नरियात योजनाएँ बनाई जाए (यानी इन क्लस्टर के लिये व्यावसायिक योजनाएँ), जनिहें मौजूदा योजनाओं, वित्त आयोग के आवंटनों और नजि नविश के सहयोग से वित्तपोषित किया जाएगा।
- कार्यान्वयन के वित्तपोषण और सहयोग के लिये एक व्यापक संस्थागत प्रणाली तैयार की जाए।

रक्षा

• थलसेना में महिला अधिकारियों के लिये स्थायी कमीशन को मंजूरी

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय थलसेना में महिला अधिकारियों के लिये स्थायी कमीशन को मंजूरी दी।

और पढ़ें

• रक्षा मंत्रालय ने मसौदा रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020

रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020 (Defence Acquisition Procedure, 2020) का मसौदा जारी किया। DAP में भारतीय रक्षा बलों के लिये हथियार और उपकरणों की खरीद का प्रावधान होता है। मसौदा का एक पूर्व संस्करण मार्च 2020 में सार्वजनिक टिप्पणियों के लिये जारी किया गया था। मसौदा को प्राप्त टिप्पणियों और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत घोषित रक्षा सुधारों के आधार पर संशोधित किया गया है। मसौदा DAP रक्षा खरीद प्रक्रिया, 2016 में संशोधन करता है और इसका लक्ष्य स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना और रक्षा उपकरणों की खरीद की समयसीमा को कम करना है। मसौदा DAP की मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- लीजिंग:** डीपीपी-2016 पूंजीगत अधिग्रहण के दो तरीके बताता है: (i) खरीद, (ii) खरीद और निर्माण। मसौदा DAP अधिग्रहण का एक अन्य तरीका बताता है, 'लीजिंग'। लीजिंग प्रारंभिक पूंजीगत परवियय का विकल्प है जसिमें समय-समय पर करिये का भुगतान किया जाएगा। ऐसा उन स्थितियों में किया जाता है जब: (i) एक नश्चित समय पर खरीद व्यावहारिक न हो (ii) किसी एसेट की जरूरत सरिफ एक नरिदषिट समय पर हो।
- स्वदेशी कंटेंट (IC) को बढ़ाना:** DPP-2016 उपरोक्त दो तरीकों से 5 श्रेणियों में पूंजीगत अधिग्रहण को नरिदषिट करती है। ये 5 श्रेणियाँ इस प्रकार हैं (तालिका 1 के नोट्स में स्पष्ट)।
 - खरीद (भारतीय- IDDM),
 - खरीद (भारतीय),
 - खरीद और निर्माण (भारतीय),
 - खरीद और निर्माण, और
 - खरीद (ग्लोबल)।

संशोधित DPP एक छठी श्रेणी को शामिल करती है, खरीद (ग्लोबल- भारत में निर्माण)। इसके अतिरिक्त उसने खरीद की विभिन्न श्रेणियों में IC आवश्यकता को भी बढ़ा दिया है। उपरलिखित श्रेणियों में IC आवश्यकताओं को तालिका 1 में सूचीबद्ध किया गया है।

- हथियार जनिका आयात प्रतबिंधित है:** घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत घोषित रक्षा सुधारों को लागू करने के लिये मंत्रालय आयात हेतु प्रतबिंधित हथियारों की एक सूची को अधिसूचित करेगा। यह सूची समय-समय पर अपडेट की जाएगी। इन उपकरणों को

खरीद (भारतीय-IDDM), खरीद (भारतीय), खरीद और नरिमाण (भारतीय) (अगर खरीद की मात्रा शून्य है) तथा खरीद और नरिमाण (अगर खरीद की मात्रा शून्य है) के अंतर्गत खरीदा जा सकता है।

तालिका 1: अधगिरहण की वभिन्न श्रेणियों में स्वदेशी कंटेंट की ज़रूरत

श्रेणी	डीपीपी-2016	डीपीपी-2020
खरीद (भारतीय- IDDM)	40% या अधिक	50% या अधिक
खरीद (भारतीय)	40% या अधिक	50% या अधिक (स्वदेशी डज़िाइन के लिये)
खरीद और नरिमाण (भारतीय)	नरिमाण के हिससे का 50% या उससे अधिक	नरिमाण के हिससे का 50% या उससे अधिक
खरीद और नरिमाण	नरिदषिट नहीं	50% या अधिक
खरीद (ग्लोबल-भारत में मैन्यूफैक्चर)	श्रेणी मौजूद नहीं	50% या अधिक
खरीद (ग्लोबल)	नरिदषिट नहीं	30% या अधिक (भारतीय वेंडरों के लिये)

• DAC ने 38,900 करोड़ रुपए मूल्य के उपकरणों के पूंजीगत अधगिरहण को मंजूरी

रक्षा अधगिरहण परिषद (Defence Acquisition Council- DAC) ने 38,900 करोड़ रुपए मूल्य के वभिन्न प्लेटफॉर्मस और उपकरणों के पूंजीगत अधगिरहण को मंजूरी दी। इसमें से 31,130 करोड़ रुपए का अधगिरहण घरेलू उद्योग से कथिया जाएगा। इसमें गोला-बारूद (Ammunitions), आयुध उन्नयन (Armament Upgrades) और लंबी दूरी की भूमिपर हमला करने वाली क्रूरुज मसिाइल प्रणाली सहित वभिन्न उपकरणों के लिये 20,400 करोड़ रुपए की मंजूरी शामिल है। इसके अतरिकित हडुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से 12 सुखोई (Su-30 MKI) विमानों की खरीद के लिये 10,730 करोड़ रुपए मंजूर कथि गए हैं।

DAC ने रूस से 21 MIG एयरक्राफ्ट्स और मौजूदा 59 MIG-29 एयरक्राफ्ट्स के अपग्रेडेशन की खरीद के लिये 7,418 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।

• सशस्त्र बलों को 300 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत खरीद का अधिकार

रक्षा अधगिरहण परिषद ने 300 करोड़ रुपए तक के पूंजीगत अधगिरहण के लिये सशस्त्र बलों को खरीद का अधिकार दथिया है ताकवि अपने बढती ज़रूरतों को पूरा कर सकें। यह फैसला उत्तरी सीमाओं की मौजूदा स्थिति को देखते हुए लथिया गया था। सशस्त्र बलों को खरीद की शकत देने से यह उम्मीद की जाती है क रक्षा उपकरणों की खरीद में कम समय लगेगा। छह महीने के भीतर ऑर्डर दे दथि जाएंगे और एक वर्ष के भीतर डलिवरी शुरू हो जाएगी।

वदियुत

• अक्षय और थर्मल स्रोतों के मशिरण से बजिली खरीद की प्रतसिपर्दधी बोली प्रकरथि के लथि दशिया-नरिदेश

बजिली मंत्रालय ने कोथला आधरति थर्मल पावर स्रोतों और अक्षय ऊर्जा स्रोतों के मशिरण से चौबीसों घंटे बजिली की खरीद हेतु टैरफि आधरति प्रतसिपर्दधी बोली प्रकरथि के लथि दशिया-नरिदेश जारी कथि। बजिली की खरीद के लथि अक्षय और थर्मल स्रोतों को मलाने का उद्देश्य यह है क अक्षय ऊर्जा की अनरितर प्रकृति को काबू कथिया जा सके।

अक्षय ऊर्जा की अनुपलब्धता के दौरान थर्मल पावर प्लांट से बजिली प्राप्त की जाएगी। इस तरह सपलाई होने वाली बजिली के अक्षय ऊर्जा घटक को वतिरण कंपनी (डसिर्कॉम) की अक्षय उर्जा खरीद बाध्यता में गनित जाएगा। डसिर्कॉम टैरफि आधरति प्रतसिपर्दधी बोली प्रकरथि के माध्यम से ऐसे बंडलड स्रोतों से बजिली खरीद सकता है। दशिया-नरिदेशों की मुख्य वशिषताएँ हैं:

- **एप्लीकेबिलिटी:** दशिया-नरिदेश अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स से राउंड द क्लॉक बेससि पर दीर्घकाल के लथि खरीदी जाने वाली बजिली पर लागू होते हैं, जसिमें कोथला आधरति थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स से भी बजिली मलिली है। ये प्रोजेक्ट्स अंतर-राजथीय ट्रांसमशिन (आईएसटीएस) प्रणाली से जुड़े होते हैं। अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स सोलर, वडि या सोलर और वडि का मशिरण हो सकते हैं। उनमें बजिली सटोरेज की प्रणाली हो सकती है। पावर प्रचेज़ एग्रीमेंट (पीपीए) डसिर्कॉम और अक्षय ऊर्जा उत्पादक के बीच हस्ताकषरति होगा। पीपीए की अवधान्यूनतम 25 वर्ष होगी।
- अक्षय ऊर्जा उत्पादक एक या एक से अधिक थर्मल पावर प्लांट्स को इस प्रणाली से जोड सकता है। थर्मल पावर प्लांट इस उद्देश्य के लथि अपनी क्षमता के उस हसिसे का इस्तेमाल कर सकते हैं जो क पीपीए या कसिी अन्य बजिली सपलाई प्रतबिद्धता के अंतर्गत नहीं आता।
- **ऊर्जा का मशिरण (एनरजी मक्सि) और सपलाई की उपलब्धता:** वार्षकि आधार पर कम-से-कम 51% बजिली अक्षय स्रोतों से प्राप्त होनी चाहथि। अक्षय ऊर्जा उत्पादक से अपेक्षा की जाती है कविह वार्षकि आधार पर बजिली की कम-से-कम 85% उपलब्धता और पीक आवर के दौरान उपलब्धता सुनशिचति करे। पीक आवर चार घंटे का होगा और खरीदार उसे पहले ही नरिदषिट कर देगा।
- **नीलामी की प्रकरथि:** खरीदार बजिली क्षमता की शर्तों में अनुबंधति कुल मात्रा नरिदषिट करेगा। बोलीदाता खरीदी जाने वाली कुल मात्रा के एक हसिसे के लथि बोली लगा सकता है (न्यूनतम 250 मेगावाट के अधीन)। बोलीदाता को सपलाई की प्रतसिपर्दधी के लथि एक कंपोजिट टैरफि (अक्षय और थर्मल पावर दोनों के लथि) प्रस्तावति करना होगा। सबसे कम टैरफि वाली बोली को चुना जाएगा।

• मसौदा केंद्रीय वदियुत नथियामक आयोग (वदियुत बाज़ार) वनियम, 2020

केंद्रीय बजिली रेगुलेटरी आयोग (Central Electricity Regulatory Commission- CERC) ने मसौदा केंद्रीय वदियुत नथियामक आयोग (वदियुत बाजार) वनियम, 2020 पर टपिपणथि आमंत्रति की है। वनियम वदियुत से जुड़े एक्सचेंज मार्केट्स के संचालन का तरीका नरिधरति करते हैं और इसमें बजिली वनियम

और ओवर द काउंटर (ओटीसी) बाज़ार भी शामिल है। रेगुलेशंस की मुख्य वशिषताएँ इस प्रकार हैं:

- **बजिली वनिमिय या पावर एक्सचेंज:** पावर एक्सचेंज के नमिनलखिति उद्देश्य होंगे: (i) बजिली कॉन्ट्रैक्ट्स डज़ाइन करना और इन कॉन्ट्रैक्ट्स में लेनदेन की सुवधि तथा (ii) व्यापक, तुरत और प्रभावी प्राइस डिसिकवरी और प्रसार। पावर एक्सचेंज की कोशशि करने वाले व्यक्तीको सीईआरसी में रजिस्टर करना होगा।
- **ओटीसी प्लेटफॉर्म:** ओटीसी प्लेटफॉर्म के नमिनलखिति उद्देश्य होंगे: (i) बजिली के संभावति खरीदारों और वकिरेताओं की सूचना वाला इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रदान करना, (ii) खरीदारों और वकिरेताओं के डेटा से संबंधति रेपोजेटरी बनाना जसि बाज़ार के भागीदारों को दयिा जाएगा तथा (iii) भागीदारों को एडवांसड डेटा एनालसिसि टूलस जैसी सेवाएँ प्रदान करना। ओटीसी प्लेटफॉर्म बनाने की कोशशि करने वाले व्यक्तीको सीईआरसी में रजिस्टर करना होगा। रेगुलेशंस नमिनलखिति का प्रावधान करते हैं: (i) ओटीसी प्लेटफॉर्म के रजिस्ट्रेशन के लयि पात्रता मानदंड और उसका तरीका, (ii) ओटीसी प्लेटफॉर्म की बाध्यताएँ, और (iii) रजिस्ट्रेशन को रद करने के नयिम।
- **बजिली के कॉन्ट्रैक्ट्स:** रेगुलेशंस प्राइस डिसिकवरी के तरीके को नरिदषिट करते हैं और बजिली कॉन्ट्रैक्ट्स की शेड्यूलगि एवं डलिविरी का तरीका भी बताते हैं जनिकी इन एक्सचेंज मार्केट्स में ट्रेडगि होती है। इसमें डे-अहेड, रयिल टाइम, इंट्रा डे, टर्म अहेड, और पावर एक्सचेंजेज में ट्रेड होने वाले आकस्मकि कॉन्ट्रैक्ट्स और ओवर द काउंटर मार्केट में ट्रेड होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स शामिल हैं।
- **बाज़ार पर नगिरानी:** रेगुलेशंस सीईआरसी को इस बात का अधकिार देते हैं कि वे नमिनलखिति के संबंध में जाँच कर सकता है: (i) बाज़ार के भागीदारों द्वारा कानूनी बाध्यताओं का पालन न करना, (ii) बाज़ार के भागीदारों का मार्केट मैनुयूपुलेशन, इनसाइड ट्रेडगि, कार्टेलाइजेशन और प्रभुत्व वाले पदों के दुरुपयोग में शामिल होना। सीईआरसी इन एक्सचेंज मार्केट्स में बजिली के व्यापार की कीमतों और मात्रा में असामान्य उतार-चढ़ाव की स्थितियों में भी दखल दे सकता है। इसमें मूल्य की सीमा तय करना और लेनदेन के काम को रोकना आदि शामिल है।

• मसौदा केंद्रीय वदियुत नयिामक आयोग (वदियुत आपूर्तिका वनियिमन) (पहला संशोधन) वनियिम, 2020

सीआईआरसी ने मसौदा केंद्रीय वदियुत नयिामक आयोग (वदियुत आपूर्तिका वनियिमन) (पहला संशोधन) वनियिम, 2020 जारी कयिा था। ड्राफ्ट रेगुलेशंस केंद्रीय बजिली रेगुलेटरी आयोग (पावर सप्लाई का रेगुलेशन) रेगुलेशंस, 2010 में संशोधन का प्रयास करता है।

2010 के रेगुलेशन बकाए के भुगतान में डफिल्ट या कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार लेटर ऑफ क्रेडिट या पेमेंट सकियोरटि के नॉन-मेंटेनेंस की स्थिति में ओपन एक्सेस वाली वतिरण कंपनयिों और एंटीटिज के लयि बजिली सप्लाई का रेगुलेशन करते हैं। ऐसे मामलों में उत्पादक या ट्रांसमशिन लाइसेंसी द्वारा क्रमशः बजिली की सप्लाई कम की जा सकती है, या ट्रांसमशिन प्रणाली से एक्सेस वापस लयिा जा सकता है। ड्राफ्ट रेगुलेशंस की मुख्य वशिषताएँ इस प्रकार हैं:

- **एप्लीकेबिलिटी:** वर्तमान में 2010 के रेगुलेशन सरिफ उन्ही स्थितियों में लागू होते हैं, जब लाभार्थयिों (ओपन एक्सेस वाले डसिकॉम्स और एंटीटिज) और उत्पादक या ट्रांसमशिन लाइसेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में कोई वशिषिट प्रावधान हो। ड्राफ्ट रेगुलेशन में प्रावधान है कि यह तब भी लागू होगा, जब इन मामलों में बजिली की सप्लाई का रेगुलेशन (बकाया या पेमेंट सकियोरटि का नॉन-मेंटेनेंस) सीईआरसी द्वारा बनाए गए दूसरे रेगुलेशंस में अनविर्य हो।
- रेगुलेशंस नमिनलखिति लाभार्थयिों पर लागू होगा, जनिहें: (i) केंद्रीय क्शेत्तर के उत्पादक द्वारा बजिली आवंटति होती है, या (ii) दीर्घावधि या मध्यम अवधि के ओपन एक्सेस के ज़रयि अंतर-राज्यीय उत्पादक से बजिली मिलति है, या (iii) अगर वह अंतर-राज्यीय ट्रांसमशिन प्रणाली का उपयोग करता हो।
- **भुगतान में डफिल्ट:** डफिल्ट की स्थिति में उत्पादक या ट्रांसमशिन लाइसेंसी डफिल्ट करने वाले लाभार्थी को क्रमशः बजिली सप्लाई कम करने या ट्रांसमशिन प्रणाली का एक्सेस वापस लेने का नोटसि दे सकते हैं। बकाया न चुकाने पर नोटसि देय तथि के 60 दिनों के बाद दयिा जा सकता है। रेगुलेशंस इस प्रावधान में संशोधन करते हैं और कहते हैं कि देय तथि के तुरंत बाद नोटसि दयिा जा सकता है।

• अक्षय ऊर्जा अनुसंधान और तकनीकी वकिास कार्यक्रम

नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने अक्षय ऊर्जा अनुसंधान और तकनीकी वकिास कार्यक्रम को वर्ष 2020-21 में जारी रखने को मंजूरी दे दी है। यह 31 मार्च, 2021 तक जारी रहेगा या उस तारीख तक जब 15वें वति्त आयोग के सुझाव लागू होंगे (इनमें से जो पहले हो)। कार्यक्रम का लक्ष्य नवीन और अक्षय ऊर्जा के क्शेत्तरों में अनुसंधान और वकिास प्रोजेक्ट्स को सहयोग देना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सोलर थर्मल ससिटम्स, सोलर फोटोवॉलैटिक ससिटम्स, बायोगैस ससिटम्स और वेस्ट टू एनर्जी ससिटम्स को सहयोग दयिा जाता है। 2019-20 के लयि इस कार्यक्रम को मूल रूप से फरवरी 2019 में 176 करोड़ रुपए की लागत से मंजूर कयिा गया था।

• पीएम-कुसुम योजना

- नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम-कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के कार्यान्वयन से संबंधति दशिा-नरिदेशों में संशोधन कयिा है। दशिा-नरिदेश नवंबर 2019 में जारी कयिे गए थे। योजना का यह घटक वर्ष 2022 तक 7.5 एचपी तक की व्यक्तीगत क्शमता वाले 10 लाख कृषि पंपों को सोलराइज करना चाहता है।
- सोलराइज्ड पंपों को सप्लाई करने वाले वेंडर्स का चयन नीलामी प्रक्रयिा के ज़रयि होगा। मूल दशिा-नरिदेशों के अनुसार, सोलर पैनल और सोलर वॉटर पंप मैनुफैक्चरर्स को नीलामी प्रक्रयिा में हसिसा लेने की अनुमति है। संशोधन के बाद सोलर पंप या ससिटम्स इंटीग्रेटर्स के साथ सोलर वॉटर पंप के मैनुफैक्चरर्स के संयुक्त उपक्रम भी नीलामी प्रक्रयिा में हसिसा ले पाएंगे।

